

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 05/01/2007

क्रमांक एफ-10/ 17 /2006/वाक/पांच (1) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा तिरुपति रोड केरियर, रायगढ़ के संबंध में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो लंबित हो, जो 31 दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण नहीं की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 31 दिसम्बर, 2007 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 05/01/2007

क्रमांक एफ-10/ 17 /2006/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 17 /2006/वाक/पांच (1), दिनांक 05/01/2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

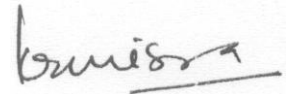
**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau. Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated **05 / 01 / 2007**

No. F-10/ 17 /2006/CT/V(1) - In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 31st December, 2007, the period for completion of every such assessment proceedings under the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), in respect of Tirupati Road Carrier, Raigarh which is not completed by the 31st December, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)
Joint secretary